



Neutral Citation No.-2026:AHC:128514

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-19857/2026

केतकी

.....आवेदिका(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदिका(गण) के अधिवक्ता:

महेश कुमार

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता:

शा.अधि.

न्यायालय संख्या-71

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अ.शा.अधि. को सुना गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन, थाना कोखराज, जनपद कौशांबी के भा.न्या.सं. की धारा 85, 80(2) तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन मुकदमा अपराध संख्या 412/2025 में आवेदिका की जमानत पर रिहाई हेतु दाखिल किया गया है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आवेदिका, मृतका की सास है और आवेदिका तथा उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध केवल सामान्य और असंबद्ध (omnibus) आरोप लगाए गए हैं; मृतका की मृत्यु का कारण अनिर्धारित था, इसलिए विसरा सुरक्षित रखा गया था; अभिलेख पर कोई विसरा रिपोर्ट नहीं है। आगे यह कहा गया है कि अन्वेषण के दौरान चिकित्सक ओम प्रकाश शर्मा का बयान दर्ज किया गया था; शव परीक्षण रिपोर्ट उक्त चिकित्सक द्वारा तैयार की गई थी। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि मृतका की मृत्यु बीमारी से हुई थी; मृतका के शव परीक्षण रिपोर्ट में कोई बाहरी चोट नहीं पाई गई। यह भी कहा गया कि मृतका और उसके पति के बीच विवाह प्रेम विवाह था और आवेदिका या उसके अन्य परिवार के सदस्यों द्वारा कभी कोई दहेज नहीं मांगा या स्वीकार किया गया। यह विवाह उनके परिवार के सदस्यों की इच्छा के विरुद्ध संपन्न हुआ था। मृतका को कभी दहेज की मांग के कारण क्रूरता, उत्पीड़न का शिकार नहीं बनाया गया। आवेदिका का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि आवेदक दिनांक 14.05.2026 से जेल में बंद है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी और विचारण में सहयोग करेगी।
4. इसके विपरीत, विद्वान अ.शा.अधि. ने आवेदिका को जमानत दिए जाने की प्रार्थना का विरोध किया और कहा कि अपराध में आवेदिका की संलिप्तता के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य हैं, इसलिए वह जमानत पर रिहाई की अधिकारी नहीं है।
5. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिस्पर्धी निवेदनों, आरोपों की प्रकृति, अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य आवेदिका द्वारा भोगे गए कारावास की अवधि, किसी भी आपराधिक पूर्ववृत्त के अभाव पर विचार करते हुए,

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय पाता है कि आवेदिका ने जमानत प्रदान किए जाने का मामला बना लिया है।

6. तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

7. उपरोक्त उल्लिखित मुकदमा अपराध में लिप्त आवेदिका-**केतकी** को व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो जमानतदारों को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदिका इस आशय का शपथपत्र दाखिल करेगी कि जिस तिथि साक्ष्य के लिए नियत की गई हो तथा जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों तो वह किसी स्थगन की मांग नहीं करेगी। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए यह खुला रहेगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माने और विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

(ii) आवेदिका प्रत्येक नियत तिथि पर, स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से, विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगी। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय धारा 229-ए भा.दं.सं./269 भा.न्या.सं. के अधीन उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि आवेदिका विचारण की अवधि में जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करती है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दं.प्र.सं./84 भा.ना.सु.सं. के अधीन उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहती है, तो विचारण न्यायालय धारा 174-ए भा.दं.सं./209 भा.न्या.सं. के अधीन उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही आरंभ करेगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



- (iv) आवेदिका (1) मामले की शुरुआत, (2) आरोप विरचन, तथा (3) धारा 313 दं.प्र.सं./351 भा.ना.सु.सं. के अधीन बयान दर्ज करने के लिए नियत तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगी। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदिका की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय के लिए यह खुला रहेगा कि वह ऐसे व्यतिक्रम को जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माने और विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करे।
8. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदिका को जमानत देने में की गई टिप्पणियां किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

22 जून, 2026

नितेंद्र

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”